सार्वजनिक नीलामी सूचना

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर में उपलब्ध राजकीय कार्य में प्रयोग होने वाले राजकीय सम्पत्ति फर्नीचर के 24 सामनों, राजकीय सम्पत्ति मेस पात्र के 47 सामानों, राजकीय सम्पत्ति पैरासेबुल के 72 सामानों, अन्य राजकीय सम्पत्ति के 80 सामानों, राजकीय सम्पत्ति टेन्टेज के 11 सामानों एवं राजकीय सम्पत्ति इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक के 53 सामानों को निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका है, जिनकी नीलामी की जानी है। उक्त सामानों के नीलामी की कार्यवाही हेतु दिनांकः 03-09-2020 की तिथि नियत की जाता है। नीलामी की कार्यवाही प्रातः 11:00 बजे संस्था कार्यालय में की जायेगी नीलामी की शर्ते निम्न प्रकार होगी :-

1. जो व्यक्ति नीलामी में भाग लेगा उसे रूपया 5,000/- का पंजीकरण शुल्क बोली के स्थान पर शिविरपाल के पास जमा करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण शुल्क नकद स्वीकार की जायेगी, जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी स्वीकृत की जायेगी, उसे छोड़कर अन्य सभी की जमा पंजीकरण शुल्क बाद नीलामी वापस कर दिया जाएगा।
2. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी स्वीकृत होगी उसे 01 दिवस के अन्दर नीलामी की धनराशि जमा करनी होगी। ऐसा न करने की दशा में पंजीकरण की गई जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं उनके पक्ष में की गई नीलामी स्वंतः निरस्त समझी जायेगी।
3. बोलीदार बोली बोलने से पूर्व शिविरपाल के माध्यम से निष्प्रयोज्य सामानों को अवश्य देख ले, ताकि बोली में किसी प्रकार की कठिनाई न हो सकें।
4. सबसे अधिक धनराशि बोलने वाले को ही निष्प्रयोज्य सामानों को ले जाने का अधिकार सामान्यतया संस्था द्वारा दिया जायेगा।
5. बोली के उपरान्त बोलीदार को नीलामी की सभी निष्प्रयोज्य सामानों को ले जाने के लिए अवधि अलग से कार्यादेश में निर्धारित की जायेगी।
6. बोली के बाद प्रश्नगत निष्प्रयोज्य सामानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। संस्था सुरक्षा के लिए कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
7. राजकीय हित में आवश्यकतानुसार बिना कोई कारण बताये सार्वजनिक नीलामी अथवा बोली को अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा निरस्त किया जा सकता है, जिस पर कोई अपील स्वीकार न होगी। अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
8. बोली से सम्बन्धित सभी बोलीकर्ताओं को विभागीय / शासन के इस विषय में निर्गत आदेशो को मानना आवश्यक होगा। नियमानुसार बोली के अतिरिक्त निर्धारित दर में ठेकेदार को व्यापार कर / विक्रीकर अथवा अन्य देय कर देना अनिवार्य होगा।
9. निष्प्रयोज्य सामनों की नीलामी हेतु बोली बोलने वाले ठेकेदारों का पंजीकरण निर्धारित तिथि को प्रातः 11:00 बजे से पूर्व तक होगी। इच्छुक ठेकेदार अपना पंजीकरण नियत समय से करायेगें अन्यथा समय समाप्ति के पश्चात पंजीकरण न होने की दशा में ठेकेदार नीलामी की बोली में भाग लेने के पात्र नहीं होगें।

अतः सर्वसम्बन्धित को अवगत कराया जाता है कि आप उक्त नियत तिथि पर उपस्थित होकर बोली में भाग लेने का कष्ट करें।

संख्या- न-167/2020
दिनांकः 22 अगस्त , 2020

22/8/2020

(शफीक अहमद)
पुलिस अधीक्षक,
पुलिस प्रशिक्षण महानिद्यालय,
सीतापुर।